कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी, मथुरा।

पत्रांक 336/जि0का0अ0/विज्ञप्ति/2025–26 दिनांक–29.06.2026

विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि शासनादेश संख्या–1092245/2025/3313/58–1–2025(1917687) दिनांक–17 सितम्बर 2025 में वर्णित व्यवस्थानुसार जनपद–मथुरा के शहरी/ग्रामीण परिक्षेत्रों में संचालित बाल विकास परियोजनाओं में आंगनबाडी कार्यकत्री के मानदेय पर आधारित रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु सीधी भर्ती प्रक्रिया के तहत वेबसाईट http://upanganwadibharti.in पर आनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं, रिक्त पदों का परियोजनावार विवरण निम्नवत् हैः–

क0सं0	परियोजना का नाम	ग्रामीण/शहरी	रिक्त आं0बा0 सहायिका के पदों की संख्या
1	बल्देव	ग्रामीण	30
2	चौमुंहा	ग्रामीण	21
3	छाता	ग्रामीण	16
4	फरह	ग्रामीण	16
5	गोवर्धन	ग्रामीण	34
6	मांट	ग्रामीण	20
7	मथुरा शहर	शहरी	28
8	मथुरा ग्रमीण	ग्रामीण	40
9	नन्दगांव	ग्रामीण	15
10	नौहझील	ग्रामीण	7
11	राया	ग्रामीण	9
कुल योगः–			236

उपरोक्त पदों का ग्रामसभा/वार्ड वार विवरण एंव आरक्षण सहित अर्हता का पूर्ण विवरण जनपद के कलैक्ट्रेट, राजीव भवन, तहसील एंव विकास खण्ड इत्यादि कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया गया है, साथ ही विभागीय वेबसाईट http://upanganwadibharti.in पर अपलोड है।

विज्ञप्तित पदों की अर्हता एंव आवेदन पत्र भरने हेतु विशेष निर्देशः–

1– विज्ञप्तित पदों हेतु केवल महिला अभ्यर्थी ही पात्र होंगे।

2– आंगनबाडी सहायिका के रिक्त पदों हेतु न्यूनतम् शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट एंव उसके समकक्ष होंगी।

3– आवेदिका को रिक्त पद के वार्ड/ग्राम सभा का निवासी होना अनिवार्य है। अन्य वार्ड/ग्रामसभा के आवेदन मान्य नहीं होंगे।

4– आवेदिका की आयु निर्धारित कट आफ तिथि 01 जनवरी 2026 को न्यूनतम् 18 वर्ष एंव अधिकतम् 35 वर्ष होनी चाहिये।

5– विज्ञप्तित पदों हेतु केवल विभागीय वेबसाईट पर आनलाईन आवेदन पर फार्म निर्धारित समयावधि के अन्दर ही स्वीकार होंगे। आफलाईन आवेदन पत्र किसी भी दशा में मान्य/स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

6– विज्ञप्तित पदों हेतु आनलाईन आवेदन की अन्तिम तिथि 24.07.26 की मध्य रात्रि 12:00 बजे तक होगी।

7– अभ्यर्थियों के आय व निवास प्रमाण पत्र तहसील से सक्षम स्तर से निर्गत होने चाहिये। जिसका आनलाईन सत्यापन संभव हो।

8– यदि आवेदन करने में कोई त्रुटि हुई है या कोई तथ्य/शैक्षिक अभिलेख अथवा आकडे गलत/त्रुटिपूर्ण पाये जाते हैं तो अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

9– आंगनबाडी सहायिका के समस्त पदों हेतु न्यूनतम् शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट तथा अधिकतम् शैक्षिक योग्यता परास्नातक के आधार पर मेरिट तैयार की जायेगी।

10– शासनादेश के अनुसार बी0पी0एल0 श्रेणी, विधाव व परित्यक्ता महिला अभ्यर्थियों को वरीयता. दी जायेगी।

11– विधवा हेतु सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र मान्य होगा। इसी प्रकार तलाकशुदा एंव परित्यक्ता हेतु विधिक/न्यायालय द्वारा निर्गत आदेश ही मान्य होगा।

12– गरीबी रेखा की आय सीमा का पुनर्निधारण किये जाने के संबध में समाज कल्याण अनुभाग–2 के शासनादेश सं0 22/2015/2123/26–2–2015 दिनांक–14.09.2015 का अनुपालन किया जायेगा।

13– एक आंगनबाडी केन्द्र पर एक ही परिवार की दो महिलाओं की नियुक्ति आंगनबाडी कार्यकत्री व सहायिका के पद पर नहीं की जायेगी। ऐसा तथ्य संज्ञान में आने पर आवेदन को निरस्त कर दिया जायेगा।

14– उपरोक्त विज्ञप्ति पदों की अर्हता एंव आवेदन करने की प्रक्रिया सहित विस्तृत प्रपत्र एंव सूचना विभागीय वेबसाईट http://upanganwadibharti.in पर उपलब्ध है साथ ही जानकारी हेतु विकास खण्ड के बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय अथवा राजीव भवन में जिला कार्यकम अधिकारी कार्यालय से कार्यालय दिवस में निर्धारित समयानुसार जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

Buddhi

जिला कार्यकम अधिकारी,
मथुरा।

/तद्दिनांकित।

प्रकाशन हेतु नहीं–

पृष्ठांकन/

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– निदेशक, बाल विकास सेवा एंव पुष्टाहार, उ0प्र0 लखनऊ।

2– जिलाधिकारी, मथुरा।

3– मुख्य विकास अधिकारी, मथुरा।

4– जिला सूचना अधिकारी, मथुरा।

5– समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी, मथुरा को इस निर्देश के साथ कि विज्ञप्ति को अपने परियोजना कार्यालय, विकास खण्ड कार्यालय तथा तहसील परिसर में चस्पा कराना सुनिश्चित करे।

7– प्रधान सम्पादक, अमर उजाला एंव दैनिक जागरण को इस आशय से कि उक्तानुसार विज्ञप्ति को अपने समाचार पत्र (आगरा एडीशन) में प्रकाशित करते हुए बिल भुगतान हेतु प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

Buddhi

जिला कार्यक्रम अधिकारी,
मथुरा।